11/2/23

पत्रावली पेश है। पक्षकार उपस्थित है। पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच में रखा गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अभिभाषक ने विवादित आराजी ग्राम कल्याणपुरा में खसरा नं. 301 रकबा 0.84 हे०, ख.नं. 711 रकबा 0.39 हे० कुल 2 किता की रकबा 1.23 हे० भूमि वादी एवं अन्य की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है।

प्रस्तुत वाद में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम कल्याणपुरा के खाता सं. 19 में 301, व 711 में राजेश पुत्र कालू दर्ज है, जबकि वास्तविक नाम राजेश पुत्र कालू है अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 88-89 RT Act के तहत दुरुस्ती बाबत प्रस्तुत किया गया है।

वादी अभिभाषक की बहस सुनी गयी। अवलोकन सरकार का अवलोकन किया गया। पत्रावली में विवादित आराजी में वर्तमान की जमाबंदी संवत 2074-2077 में वादी का नाम राजेश पुत्र सूरजमल किसान के जाति खाती अरनेड़ा जिला बूंदी के नाम दर्ज है अतः वांछित नाम दर्ज में ही सही किया जा चुका है अतः वाद पत्र में दुरुस्ती होना शेष नहीं है अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर है।

निर्णय आज दिनांक 11.2.23 को राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच दीगोद में सुनाया गया।

तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)